(1)

प्रकाशनार्थ

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

विज्ञापन/पत्रांकः– 5287

दिनाँक-23-02-2024

ई–निविदा सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा की ओर से सिविल कार्य के अन्तर्गत 21 कार्य एवं विद्युत के अन्तर्गत 12 कार्य हेतु आन–लाईन ई–निविदा दिनाँक 23.02.2024 से 04.03.2024 तक आमंत्रित की जाती है। संबंधित निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर दिनांक 23.02.2024 से उपलब्ध रहेगी। वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में परफॉमेन्स सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारन्टी धनराशि, निविदा मूल्य, निविदा डालने की तिथि, कार्य करने की अवधि एवं निविदा लागत तथा निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है। इच्छुक ठेकेदार/फर्म नियमित रूप से उक्त वेबसाईट/नोटिस बोर्ड को देखते रहें, आन–लाईन ई–निविदा के संबंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गीडा, गोरखपुर।

(7)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर–11 (आवासीय योजना) में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लगाने के कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 21.024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर–11 (आवासीय योजना) में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लगाने का कार्य।	155.42	9.77	2950.00	06 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5317/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(6)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के आवासीय योजना सेक्टर–23 हेतु 11 के.वी. फीडर विद्युत लाईन का निर्माण कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय योजना सेक्टर–23 हेतु 11 के.वी. फीडर विद्युत लाईन का निर्माण कार्य।	223.93	13.20	2950.00	03 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा। (9)

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5318/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(10)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 33/11 विद्युत सब स्टेशन सेक्टर–13 से 33/11 सब स्टेशन सेक्टर–15 को जोड़ने हेतु 33 के.वी. विद्युत लाईन का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33/11 विद्युत सब स्टेशन सेक्टर–13 से 33/11 सब स्टेशन सेक्टर–15 को जोड़ने हेतु 33 के.वी. विद्युत लाईन का निर्माण कार्य।	242.00	14.10	2950.00	03 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **''गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण--पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5319/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर–11 (कामर्शियल योजना) में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लगाने के कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर–11 (कामर्शियल योजना) में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लगाने का कार्य।	119.43	7.97	2950.00	06 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड़ करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोंक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5320/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(18)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर 27 में प्रस्तावित 33/11 विद्युत उपकेन्द्र को पोषित करने हेतु 33 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण कार्य का मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के कम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.3.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.3.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक सेक्टर 27 में प्रस्तावित 33/11 विद्युत उपकेन्द्र को पोषित करने हेतु 33 के0वी0 विद्युत लाईन का निर्माण कार्य।	236.10	13.81	2950.00	03 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.3.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **''गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के कम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5321 /अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(22)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के सेक्टर–23 में पथ प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 9 मी. आक्टागोनल पोल के साथ एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाने के कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 21.024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर–23 में पथ प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित हेतु 9 मी. आक्टागोनल पोल के साथ एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाने के कार्य।	11.96	1.20	2950.00	03 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंस।	'सभी श्रेणी'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'किसी भी' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5322/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर–11 (कामर्शियल योजना) गीडा में आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर–11 (कामर्शियल योजना) गीडा में आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य।	356.23	19.81	2950.00	06 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **''गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5324/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर–11 (आवासीय योजना) गीडा में आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर–11 (आवासीय योजना) गीडा में आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य।	261.06	15.05	2950.00	06 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5325/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के संस्थागत सेक्टर–7 हेतु 11 के.वी. फीडर विद्युत लाईन के निर्माण कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संस्थागत सेक्टर–7 हेतु 11 के.वी. फीडर विद्युत लाईन के निर्माण कार्य।	194.45	11.73	2950.00	03 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5326/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष–(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम द्वारा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 29.03.2024 सायं 4:00 बजे प्री–बिड बैठक होगी। दिनॉक 04.03.2024 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/ टेक्निकल बिड सेक्टर–7 स्थित गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा धनराशि (रू0 लाख में) (जी.एस.टी. सहित।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक सेक्टर–27 में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र (सिविल कार्य) का निर्माण कार्य।	**257.32**	**14.87**	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रू0 2950.00	09 माह	**'ए'**	आन–लाईन

नोट– कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनॉक 04.03.2024 को 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाईट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तेः–

1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण"** के खाता संख्या–**740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में** RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./ Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।

3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र की सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

i) ऐसे निविदादाता जिनके सगे–सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होगें, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।

ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए है, को कार्य करने की अनुमति, बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के, नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/– के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ–पत्र पर सभी सूचनाँए यथा–वर्तमान में चल रहे कार्य आदि निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) का आंकलन /परीक्षण किया जा सकें:–

i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाँए/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे–**टी–4(चरित्र प्रमाण पत्र),टी–5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी–6 (शपथ पत्र)** मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर **(निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/– के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना)** प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।

ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23–7–17–176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफियां गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलिप्त हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हों, उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेगें और उन्हे कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।

5) (clause 4.5A(b) – के अनुसार विगत् 05 वित्तीय वर्षों में ठेकेदार द्वारा समान प्रकृति के कार्य का कम से कम 40 प्रतिशत लागत का एक अनुबन्ध सन्तोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो, उसका संबंधित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(6) (clause 4.5A(a) निविदादाता द्वारा विगत पॉच वित्तीय वर्षो का अवसत वार्षिक टर्नओवर आगणन के 40 प्रतिशत धनराशि का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

7) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य का कार्यादेश, आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000/– प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी

तथा नियत समय के अन्दर अनुबंध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।

13) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता/मात्रा की जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

15) ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।

iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर–धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग–7 लखनऊ के **शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23–7–17–176(सा.)/06 दिनांक 8–6–2017 पैरा–19** के अनुसार देय होगी।

18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यो हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होगीं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांकः 5328 **/अभि0नि0–6/सिविल/निविदा(सि0)/गीडा/2023–24/ दिनाँकः** 23- **/फरवरी ,2024**

प्रतिलिपि :–

1– उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।

5– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6– सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

23/02/

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर–27 में एक अद्द 33/11 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्तावित आगणन का उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 गोरखपुर के द्वारा परीक्षणोंपरान्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 23.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक सेक्टर–27 में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य।	439.30	23.96	2950.00	09 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा।

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5329/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 23 फरवरी 2024
प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।
2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5– संबंधित पत्रावली हेतु।

23/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(५५)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष– नं0 (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर–13 एवं 15 में पथ प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हाई मास्ट स्थापना के कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 28.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 5:50 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 04.03.2024 को अपरान्ह 5:55 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रू0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक सेक्टर–13 एवं 15 में पथ प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु हाई मास्ट स्थापना का कार्य।	68.00	5.40	2950.00	03 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोटः– कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 04.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि **"गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, IFSC कोड– ICIC0007409, ICICI** बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद **(UTR No/Transasction ID)** निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2– निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगीं।

3– निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी **'क'** श्रेणी अनुमोदित वैंध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे निविदादाता जिसका सगा–संबंधी **(Defined as first bold relations, and their spouses)** जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नही किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

7– प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

8– शासनादेश संख्या–2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनाँक 23–09–2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0–04 (वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र) एवम् टी0–05 (वैद्य हैसियत प्रमाण–पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0–6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण--पत्र एवम् हैसियत प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9– शासनादेश संख्या 836/23–07–2017 (सा0)/06 दिनाँक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यो/निर्माण परियोजनाओ को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों मे संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते है वे भी निविदा मे भाग नही ले सकेगें और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैंम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11– निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षो में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षो का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13– निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14– निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15– निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्रीं की टेस्टिंग रिर्पोट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण–पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यो को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17– निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रीं मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यो का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानको के अनुरूप में सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

18– ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर'' को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई–प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19– निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20– निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधार्रित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21– निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फामेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगीं।

22– (a) ऑन लाईन ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नही होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नही होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव **(Joint Venture)** मान्य/स्वीकार नही किया जायेगा।

23– निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24–निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23–7–17–176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा–16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्ते गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुमन्य होग

25–कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गो की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26– इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जीकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नही होगा।

27– किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 5370/अभि0नि0–6/विद्युत/ई–निविदा /गीडा/2023–24 दिनॉक 28. फरवरी 2024

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in** पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– संबंधित पत्रावली हेतु।

28/02/24

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी